समाहरणालय, पटना
(जिला विधि शाखा)

फोन न0–0612–2219545(का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email-legalsectionpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक–V-382/12–6225 / मु0विधि दिनांक 11 / 12 / 2013

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, पटना।
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना।
अपर समाहर्त्ता/सभी अपर जिला दंडाधिकारी, पटना।
समाहरणालय पटना अवस्थित सभी शाखाओं/कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारी।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला।
सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना जिला।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0), पटना।
जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पटना।
सभी कोषागार पदाधिकारी, पटना।
जिला लेखा पदाधिकारी, पटना।
सभी अंचल अधिकारी, पटना जिला।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना जिला।
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना जिला।

विषय :– **माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर सी0 डब्लू0 जे0सी0/एम0जे0सी0/एल0पी0ए0 एंव एस0एल0पी0 वादों के लिए तैयार किए जाने वाले तथ्य विवरणी/ कारण पृच्छा में मामले का सारांश (Summary/ Synopsis) अंकित करने के संबंध में।**

प्रसग :– इस कार्यालय का पत्रांक 1642/मु0विधि दिनाक 12.04.13

महादय/महोदया,

उपरांक्त विषयक प्रसगाधीन पत्र का कृपया स्मरण किया जाय। उक्त पत्र के द्वारा माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय में तथ्य विवरणी/कारण पृच्छा तयार करते समय प्रारंभ में याचिका की विषय से संबंधित सारांश **(Summary/ Synopsis)** अंकित करने के पश्चात कंडिकावार तथ्य विवरणी तैयार कर अनुमोदन हेतु भेजने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में जिला स्तर पर आयोजित बैठकों में भी आप को निदेश दिया गया है। परंतु विभिन्न कार्यालयों/ शाखाओं से प्राप्त तथ्य विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। याचिका के प्रसंग में तथ्य विवरणी तो तैयार कर दी जाती है लेकिन संक्षिप्त सारांश **(Summary/ Synopsis)** का आभाव रहता है। फलस्वरूप याचिका की वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है एवं माननीय न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने में कठिनाई होती है।

अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि भविष्य में किसी भी वाद से संबंधित तथ्य विवरणी/कारण पृच्छा तैयार करते समय याचिका के प्रसंग में सारांश **(Summary/ Synopsis)** अंकित करते हुए कंडिकावार तथ्य विवरणी तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदन हेतु भेजा जाये।

इस निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय।

376
11/12/2013.

विश्वासभाजन,

जिलाधिकारी,
पटना।

Amit
11/12/13.
03:02 pm.